पत्र सूचना शाखा
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश

जनहित गारण्टी अधिनियम में अधिसूचित सेवाओं के समय से निस्तारण हेतु अपीलीय अधिकारी नामित

लखनऊ :17 मई, 2018

राज्य सरकार ने उ0प्र0 जनहित गारण्टी अधिनियम के तहत आने वाली सेवाओं के समयबद्ध निस्तारण के लिए मिशन निदेशक कार्यालय स्तर पर संयुक्त निदेशक मिशन को प्रथम अपीलीय अधिकारी व मिशन निदेशक को द्वितीय अपीलीय अधिकारी नामित करते हुए अपील निस्तारण की समय–सीमा तय कर दी है। सरकार ने प्रकरण का निस्तारण तय समय में नहीं होने पर प्रथम अपीलीय अधिकारी पर अनुशासनिक कार्यवाही किए जाने के भी निर्देश दिए है।

ग्राम्य विकास विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार उ0प्र0 राज्य ग्रामीण विभाग आजीविका मिशन की चिकित्सा अवकाश की सेवाओं के लिए 15 दिन की समय–सीमा, चिकित्सा प्रतिपूर्ति के निर्णय के लिए 60 दिन की, जिसमें प्रथम अपील के निस्तारण के लिए 30 दिन, अर्जित अवकाश की स्वीकृति तथा वेतन भुगतान के निर्णय के लिए 15 दिन, जिसमें प्रथम अपील निस्तारण के लिए 7 दिन तथा कान्फीडेन्शियल इन्ट्री के निर्णय के लिए 30 दिन की समय–सीमा निर्धारित की गई है।

इस संबंध में जारी आदेश में यह भी कहा गया है कि प्रथम अपीलीय अधिकारी के यहां निर्धारित समय–सीमा के अन्दर निस्तारण न होने पर जनहित गारण्टी अधिनियम के अंतर्गत द्वितीय अपीलीय अधिकारी 500 रुपये से कम तथा 5000 रुपये तक का दण्ड दे सकता है या उसके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की संस्तुति कर सकता है।

सम्पर्क सूत्रः–
अपर सूचना अधिकारी–निधि वर्मा

फोन नम्बर क्पतमबज : 0522 2239023 ई0पी0बी0एक्स0 : 0522 2239132 33 34 35 एक्सटेंशन : 223 224 225
फैक्स नं0 : 0522 2237230 0522 2239586 ई–मेल : information_up@yahoo.co.in
वेबसाइट :www.information.up.nic.in